के. बालकृष्ण राव

बनाम

उपआयुक्त, वाणिज्यिक कर, विभाग संख्या 02,

विजयवाड़ा, आंध्रप्रदेश व अन्य

01 मई 2007

(सी.के ठकर और पी.के. बालसुब्रमणयम्, जे.जे.)

सेवा कानूनः

आंध्रप्रेदश मंत्रालयिक सेवा नियम - नियम 27 (1) (iii) और 16 - वरिष्ठता - अस्थायी रूप से नियुक्त व्यक्ति द्वारा चयन कर मूल रूप से आवंटित विभाग से अन्य विभाग में पुनः आवंटन की मांग की गई - अस्थायी नियुक्ति की तारीख से अपर डिवीजन क्लर्कों के संवर्ग में नियमितिकरण - वरिष्ठता - गणना - नियम 27 (1) (iii) - योग्यता - प्रतिपादित - उम्मीदवार द्वारा नियम 27 (1) (iii) के तहत अपने द्वारा किये गये अनुरोध पर दूसरे विभाग में पुनः आवंटन होने की तारीख से कैडर में सबसे कनिष्ठ बन गया और उसी आधार पर उसकी वरिष्ठता की गणना की जाएगी - आंध्रप्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम - नियम 23 (ए)

अपीलार्थी - अस्थायी रूप से अपर डिवीजन आशुलिपिक के रूप में नियुक्त किया गया था जिसे अपर डिवीजन आशुलिपिक की राज्य आयोग सेवा द्वारा संचालित सीधी भर्ती प्रक्रिया से चुना गया था और मुद्रण विभाग को आवंटित किया गया था। अपीलार्थी के अनुरोध पर उन्हें अपर डिवीजन आशुलिपिक की नियुक्ति के लिए वाणिज्यिक कर विभाग को पुनः आवंटित किया गया था। अपीलार्थी की सेवाओं को आंध्रप्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 23 (ए) के तहत उसके पहले या अस्थायी कार्यकाल की तारीख से अपर डिवीजन आशुलिपिक के संवर्ग में नियमित की गई। इसके बाद अपर डिवीजन क्लर्कों की वरिष्ठता सूची का एक प्रारूप प्रकाशित किया गया और अपीलार्थी को क्रम संख्या 60 पर दिखाया गया जबकि उसने अपने आपको क्रम संख्या 39 पर होने का दावा किया। दायर की गई आपत्ति को खारिज कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष याचिका दायर की गई जिसे स्वीकार कर लिया गया। दो प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उसे चुनौती दी गई। न्यायाधिकरण ने अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि अपीलार्थी को वाणिज्यिक कर विभाग में अपर डिवीजन क्लर्क के कैडर्स में परीवीक्षाधीन के रूप में पुनः आवंटन की तारीख से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप मे माना जाना था और आंध्रप्रदेश मंत्रालयिक सेवा नियमों के नियम 16 के तहत उसे कैडर में सबसे कनिष्ठ के रूप में माना था।

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया किया कि:

1.1 नियम 23 (क) आंध्रप्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों के तहत अपीलार्थी के पक्ष मे पारित आदेश से विशेष रूप से उसकी वरिष्ठता को बाद मे तय करने का सवाल खुला रह जाता है। नियम 16 (1) आंध्रप्रदेश मंत्रालयिक सेवा नियम विशेष रूप से नियम 27 के लागू होने के बारे में बताता है। (पैरा संख्या 7) (1074-सी-डी)

1.2 यह निर्विवादित है कि अपीलार्थी को अपने चयन के पश्चात मूल रूप से मुद्रण विभाग आवंटित था। उनके द्वारा पुनः आवंटन की मांग की गई और आठ महीने के बाद उन्हे वाणिज्यिक कर विभाग मे नियुक्त किया गया। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उन्होने अपनी नियुक्ति होने के पश्चात वाणिज्यिक कर विभाग मे स्थानांतरित होने का विकल्प चुना था। नियम 27 (1)(iii) के क्रियान्वयन को केवल विभाग के अध्यक्षों के कहने पर स्थानांतरण के मामलों तक सीमित रखने का कोई कारण नहीं है और यह लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित उम्मीदवार के अनुरोध के आधार पर किये गये पुनः आवंटन पर लागू नहीं होता है। (पैरा संख्या 7) (1074-डी-इ)

1.3 उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा मानना न्यायोचित था कि नियम 27 (1)(iii) आंध्रप्रदेश मंत्रालयिक सेवा नियम तत्काल मामले मे लागू होता

है और अपीलार्थी वाणिज्यिक कर विभाग मे अपने संवर्ग मे सबसे कनिष्ठ हो गया और उसे दिनांक 25.07.1979 को विभाग मे फिर से नियुक्त किया गया। इस प्रकार उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले मे हस्तक्षेप किए जाने का कोई आधार नहीं है। (पैरा संख्या 7) (1074-इ-एफ)

तमिलनाडू राज्य और अन्य बनाम इ.परिपूर्णम और अन्य, (1992) पूरक 1 एसएससी 420, संदर्भित

सिविल अपीलीय न्याय निर्णयः सिविल अपील नम्बर 2299/2007

उच्च न्यायालय हैदराबाद के अंतिम निर्णय व आदेश दिनांक 22.09.2004 से रिट पीटीशन संख्या 34297/1998

अपीलार्थी की ओर से एम.एन. राव, तुषार जी. राव, ए. रमेश और प्रोमिला।

प्रत्यार्थी की ओर से आर. सुंदरवर्धन, मनोज सक्सेना, आर. के. सिंह और टी. वी. ज़ार्ज़।

इस न्यायालय का यह निर्णय श्री पी. के. बालासुब्रमण्यम, जे. द्वारा पारित किया गया।

1. सुना गया।

2. अपीलार्थी को रोजगार विनियमन के माध्यम से प्रयोजित होने पर दिनांक 14-08-1976 को अस्थाई तौर पर अपर डिवीजन आशुलिपिक के

रूप में नियुक्त किया गया था। इसके पश्चात अपीलार्थी आंध्रप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित अपर डिवीजन आशुलिपिक की सीधी भर्ती प्रक्रिया में भाग लिया और दिनांक 17-01-1979 को चयनित हुआ। उसे हैदराबाद में मुद्रण विभाग आवंटित किया गया था। अपीलकर्ता के अनुरोध पर उन्हें फिर से वाणिज्यिक कर विभाग दिनांक 25-07-1979 को अपर डिवीजन आशुलिपि की नियुक्ति के लिए आवंटित किया गया। वाणिज्यिक कर विभाग अपर डिवीजन आशुलिपिक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। दिनांक 21-02-1980 को, वाणिज्यिक कर उपायुक्त, कृष्णा प्रभाग, द्वारा इस आशय का एक आदेश पारित किया कि अपीलार्थी की सेवा में, जो कि उपायुक्त वाणिज्यिक कर (विजयवाड़ा) के कार्यालय में एक अस्थायी अपर डिवीजन आशुलिपिक है, जो कि आंध्रप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कृष्ण प्रभाग में अपर डिवीजन आशुलिपिक के पद पर चयनित व आवंटित हुआ, दिनांक 14-08-1976 से जबकि नियम 23 (अ) आंध्रप्रदेश राज्य अधीनस्थ सेवा नियम के अंतर्गत उसकी प्रथम नियुक्ति हुई से अपर डिवीजन संवर्ग में नियमित किया जाता है। परंतु यह स्पष्ट किया गया कि उनकी वरिष्ठता का फैसला उचित समय पर किया जाएगा। यह घोषित किया गया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 19-08-1978 की दोपहर को अपर डिवीजन आशुलिपिक के संवर्ग में अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरी कर ली थी। अपीलार्थी को वरिष्ठ सहायक (अपर डिवीजन क्लर्क) के रूप में

तैनात किया गया था, जिसे वरिष्ठ आशुलिपिक (अपर डिवीजन आशुलिपिक) समकक्ष पद कहा जाता है।

3. अपर डिवीजन क्लर्कों की वरिष्ठता सूची का प्रारूप प्रकाशित किया गया और आपत्तियां आमंत्रित की गई। अपीलार्थी को क्रम संख्या 60 में दिखाया गया था। अपीलार्थी द्वारा एक अपील व अभ्यावेदन दाखिल करवाया यह दावा करते हुए कि राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 23 (ए) के तहत पारित आदेश दिनांक 14-08-1976 में उसकी सेवा को नियमित किया गया था जिसके आलोक में उसे क्रम संख्या 39 पर होना था। चूंकि उनकी आपत्ति और बाद में किए गए अभ्यावेदन का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, इसलिए अपीलकर्ता ने 1987 के आरपी नंबर 3055 के रूप में क्रमांकित दावा आंध्र प्रदेश प्रशासनिक न्यायाधिकरण में पेश किया। उन्होंने किसी भी अन्य अपर डिवीजन क्लर्क को पक्षकार नहीं बनाया, जो अगर क्रम संख्या 39 का स्थान पाने का दावा स्वीकार कर लिया जाता तो प्रभावित होते। परंतु फिर भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा उस तथ्य को ध्यान में रखे बिना अपीलार्थी का आवेदन स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात 2 प्रभावित व्यक्तियों द्वारा उक्त प्रकाशन पर पुनः विचार करने की याचिका दायर की गई, जो न्यायाधिकरण द्वारा खारिज कर दी गई। जिसके परिणामस्वरूप, प्रभावित व्यक्तियों द्वारा इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

इस न्यायालय ने सन् 1997 की सिविल अपील संख्या 5890 में दिनांक 29-08-1997 के आदेश के माध्यम से न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द किया और इस न्यायालय के समक्ष मौजूद पीड़ित पक्षों को सुनने के बाद गुण-दोष के आधार पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए अपीलकर्ता के दावे को न्यायाधिकरण को भेज दिया गया। इसके बाद, न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता के दावे को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने उस विभाग से वाणिज्यिक कर विभाग में स्थानांतरण की मांग की थी, जिसमें उसे मूल रूप से चयन कर आवंटित किया गया था और इस तरह वह आंध्र प्रदेश मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों के नियम 16 के अनुसार विभाग में सबसे कनिष्ठ बन गया था। न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ता की इस दलील को भी नहीं माना कि उसकी वरियता किसी भी हालत में दिनांक 14.8.1976 से गिनी जानी चाहिए ना कि दिनांक 5.8.1980 से। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलकर्ता ने आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के दावे को इस हद तक स्वीकार कर लिया कि अपीलकर्ता को दिनांक 25.7.1979 से अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में माना जाना था क्योंकि अपीलकर्ता को अपर डिवीजन क्लर्क के कैडर में प्रोबेशनर के रूप में वाणिज्यिक कर विभाग को पुनः आवंटित किया गया था। लेकिन उच्च न्यायालय ने यह भी विचार किया कि चूंकि अपीलकर्ता को उसके अनुरोध पर वाणिज्यिक कर विभाग को फिर से आवंटित किया गया था, इसलिए आंध्र प्रदेश

मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों के नियम 16 के तहत उसे नियम 27 (1) (iii) के अनुसार उस विभाग के कैडर में कनिष्ठतम के रूप में रखा जाना था। इससे व्यथित होकर अपीलकर्ता इस न्यायालय में आया है।

4. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने नियम 27 (1) की गलत व्याख्या की थी। जब अपीलार्थी को अपर डिवीजन क्लर्क के रूप में तैनात किया गया था, तो वह जी ओ ऍम एस संख्या 635 दिनांकित 13.9.1979 के आधार पर जिसके द्वारा नियम 27 के उप-नियम (1) के परंतुक (iv) को प्रतिस्थापित किया गया था के अंतर्गत उच्च प्रभाग आशुलिपिक के रूप में अपनी वरिष्ठता को गिनने का हकदार था । उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आंध्र प्रदेश मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों के नियम 16 में लोक सेवा आयोग द्वारा किए गए आवंटन के संबंध मे लागू नहीं होता है और यह केवल उन मामलों में लागू होता है जहां आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आवंटन के बाद, एक कर्मचारी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार एक दूसरे के परामर्श से इकाई अधिकारियों द्वारा स्थानांतरण किए जाते हैं। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि यदि नियम 16 लागू माना जाता है तब भी, जब उन्हें वर्ष 1979 में फिर से आवंटित किया गया था तब वह कैडर में उस पद को धारण करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे और इसलिए उनकी वरिष्ठता को उसी आधार पर गिना जाना चाहिए।

5. प्रत्यर्थियों की ओर से यह कथन प्रस्तुत किया जाता है कि न्यायाधिकरण और, उच्च न्यायालय को यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित हैं कि अपीलार्थी अपने अनुरोध पर वाणिज्यिक कर विभाग में पुनः आवंटित होने पर दिनांक 25-07-1979 को संवर्ग में सबसे कनिष्ठ बन गया और आंध्रप्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम 23 (ए) के संदर्भ में पारित किया गया आदेश, जिसमें बाद की तारीख में उनकी वरिष्ठता तय करने के निर्णय को आरक्षित किया गया, से वह आंध्र प्रदेश मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों के नियम 27 (1) (iii) के प्रभाव से बाहर नहीं निकलता है । नियम 16 (1) ने भी इस तरह के हस्तांतरण को नियम 27 के अधीन कर दिया। प्रत्यर्थियों की ओर से तमिलनाडु और एक अन्य बनाम ई. परिपूर्णम और अन्य [1992] Supp 1 एससीसी 420 के निर्णय पर भार प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि अपीलार्थी की नियमित नियुक्ति से पहले की अस्थायी सेवा को वरिष्ठता के लिए नहीं गिना जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया कि उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है ।

6. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को ऊपरी डिवीजन क्लर्क के संवर्ग में तारीख 25.7.1979 निर्धारित की है । अपीलार्थी की इस अपील में, हम उस निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं देखते हैं।

7. आंध्र प्रदेश राज्य और अधीनस्थ सेवा नियम के नियम 23 (ए) के संदर्भ में अपीलार्थी के पक्ष में पारित किया गया आदेश विशेष रूप से बाद में उनकी वरिष्ठता तय करने के सवाल को खुला छोड़ता है । अपीलार्थी की ओर से यह तर्क कि आंध्र प्रदेश मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों का नियम 27 (1) (iii) अपीलार्थी पर लागू नहीं किया जा सकता है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। नियम 16 (1) आंध्र प्रदेश मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों में विशेष रूप से नियम 27 को लागू करने का प्रावधान है। यह निर्विवाद है कि अपीलार्थी को उसके चयन पर मूल रूप से मुद्रण विभाग को आवंटित किया गया था। उन्होंने पुनः आवंटन की मांग की और आठ महीने बाद उन्हें वाणिज्यिक कर विभाग में फिर से नियुक्त कर दिया गया। दूसरे शब्दों में, उन्होंने आवंटित होने या वाणिज्यिक कर विभाग में स्थानांतरित होने का विकल्प चुना। हम आंध्र प्रदेश मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों के नियम 27 (1) (iii) के संचालन को केवल विभागाध्यक्ष की संस्तुति से हुए स्थानांतरण के मामलों तक सीमित रखने का व लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गए उम्मीदवार के अनुरोध के आधार पर पुनः आवंटन पर लागू नहीं होने का कोई कारण नहीं देखते हैं। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत है कि आंध्र प्रदेश मंत्रिस्तरीय सेवा नियमों का नियम 27 इस मामले में लागू होता है और 25.7.1979 को अपीलार्थी के वाणिज्यिक कर विभाग में पुनः नियुक्त होने से वह अपने संवर्ग में सबसे कनिष्ठ बन जाता है ।इसलिए हम संतुष्ट

नहीं हैं कि उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप इसके लिए कोई आधार प्रस्तुत किया गया है।

8. इसके आलोक में, हम उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं। हम उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि करते हैं और इस अपील को खारिज करते हैं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी ज्योति राखावत (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।